**कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश**

उपस्थितः– श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :– **सर्वश्री आयुद्य वस्त्र निर्माणी, शाहजहॉपुर ।**
प्रा0प0सं0– **362/2008**
प्रार्थी की ओर से– **श्री आफताब अली, यू0डी0सी0।**

**<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा–59 के अर्न्तगतनिर्णय</u>**

।– प्रार्थी के द्वारा दिनांक 5–9–2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा पावर लूम से बने ऊनी कम्बल एवं पावर लूम से बने सूती दरियॉ पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली ने अपने पत्र संख्या–2940 दिनांक 03–0।–2009से आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार उपरोक्त दोनों वस्तुयें उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची –2–क के कमांक 16 के अन्तर्गत आती है जो निम्नवत् है:–

| | |
|---|---|
| 16 | Bed sheet, pillow cover & other textile made ups excluding those made on handloom. |

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री आफताब अली, यू0डी0सी0 उपस्थित हुयें और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या, व्यापारी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया। कम्बल व पावर लूम से बनी दरियॉ वैट अधिनियम की अनुसुची 1, 2, 3, 4 में वर्गीकृत नहीं है 1अतः कम्बल व पावर लूम से बनी दरियॉ अनुसुची–5 में आने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

ह0/10–2–09
**( अनिल संत )**
**कमिश्नर वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

दिनांकः: 10 फरवरी, 2009